न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 261/2020

अनवान :

1. पवन कुमार खौलायत पुत्र नोरंग जाति ब्राहाम्ण निवासी कलाना त0 भादरा।

:– **वादी**

ब ना म

1. नोरंग पुत्र चतरू जाति ब्राहाम्ण निवासी कलाना त0 भादरा।

:– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री राजेन्द्र गोयल : **वादी**

वकील श्री रविन्द्र मोठसरा: **प्रतिवादीगण**

निर्णय **दिनांक :** 21.12.2020

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा कलाना के खाता सं 245/219 के खसरा सं0 182 की 1.5690है0, खसरा सं0 804 की 7.2240है0 कुल 8.7930है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी सं 1 नोरंग के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो पहले वादी पवन कुमार (खौलायत पुत्र) नोरंग के पिताजी चतरू की खातेदारी हुआ करती थी। चतरू के देहान्त होने पर उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 नोरंग ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होंते है। वादभूमि वादी की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही बिनाए मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 3 द्वारा आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादीगण गण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नहीं है अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:59:14 IST
Reason: SelfAttested

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यू 1 पवन कुमार पुत्र ... के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी रोही कलाना प्रदर्श 1, पुरानी जमाबंदी प्रदर्श 2, खौलायत नामा प्रदर्श 3, वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत कलाना प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवाये।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)भादरा

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड

Scanned with CamScanner

में दर्ज होने पर वादी के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार मुताविक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने ग्राम कलाना के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जो सत्यप्रतिलिपि जमावंदी व वारिस प्रमाण पत्र मय शपथ पत्र प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवाये। उनमें वाद भूमि वादी (खौलायत पुत्र) के दादा चतरु से विरासतन प्राप्त होना दर्ज है जिससे वादभूमि दादालाई पैत्रक कृषि भूमि होना साबित है एवं वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 4 में निहालसिंह के वारिसान में 1 **खौलायत पुत्र** पवन कुमार व इनके अलावा अन्य कोई वारिसान नहीं होना अंकित है। इस प्रकार वाद भूमि में वादी तथा प्रतिवादी सं 1 का बहिस्सा बराबर है। इस प्रकार वादभूमि में वादी व प्रतिवादी सं0 1 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जावें। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है। ।

कियात्मक आदेश

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा कलाना के खाता सं 245/219 के खसरा सं0 182 की 1.5690है0, खसरा सं0 804 की 7.2240है0 कुल 8.7930है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी सं 1 नोरंग के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में वादी तथा प्रतिवादी सं 1 को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी पवन कुमार व प्रतिवादी सं0 1 नोरंग बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 21.12.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण)
सहायक कलक्टर R.A.S.
(फास्ट ट्रेक)भादरा
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:59:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 261/2020

1. पवन कुमार खौलागत पुत्र नोरंग जाति ब्राह्मण निवासी कलाना त0 भादरा।

:- वादी

ब नाम

1. नोरंग पुत्र चतरू जाति ब्राह्मण निवासी कलाना त0 भादरा।

:- प्रतिवादीगण

आज यह दावा मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री राजेन्द्र गोयल एवं वकील प्रतिवादीगण श्री रविन्द्र ... की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं दावा वादीगण साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही कलाना के खाता सं 245/219 के खसरा सं0 182 की 1.5690है0, खसरा सं0 804 की 7.2240है0 कुल 8.7930है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी सं 1 नोरंग के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में वादी तथा प्रतिवादी सं 1 को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी पवन कुमार व प्रतिवादी सं0 1 नोरंग बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा दावा उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक [illegible] को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:59:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner